

**बिहार सरकार**  
**कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय**  
**गृह विभाग (कारा)।**

प्रेषक,

**आनन्द किशोर,**  
महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

सेवा में,

**अधीक्षक,**  
मुक्त कारागार, बक्सर।

पटना, दिनांक 11.04.2017

**विषय:-**मुख्य शीर्ष-2056 जेल, उप मुख्यशीर्ष-00, मांग सं0-22, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0006 मुक्त कारागार के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतनादि (वेतन, जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते), यात्रा व्यय एवं संविदा सेवायें तथा आकस्मिक मदों में निकासी हेतु राशि ₹67,38,000 (सड़सठ लाख अड़तीस हजार रुपये मात्र) आवंटन की स्वीकृति।

(विपत्र कोड-22-2056001010006)

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब15/बी0एस0जी0-19/2017-428/वि0 दिनांक-31.03.2017 एवं ज्ञाप संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु वेतनादि (वेतन, जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते), यात्रा व्यय एवं संविदा सेवायें तथा आकस्मिकता मदों में उपबंधित राशि में से निम्नांकित रूप से राशि आवंटन की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र0	विषय शीर्ष	वर्तमान आवंटन	शब्दों में
1	0006.01.01 वेतन	1018000	दस लाख अठारह हजार रुपये मात्र
2	0006.01.03 जीवन यापन भत्ता	1335000	तेरह लाख पैंतीस हजार रुपये मात्र
3	0006.01.04 मकान किराया भत्ता	88000	अठासी हजार रुपये मात्र
4	0006.01.06 चिकित्सा भत्ता	21000	इक्कीस हजार रुपये मात्र
5	0006.01.07 अन्य भत्ता	16000	सोलह हजार रुपये मात्र
6	0006.11.01 यात्रा व्यय	25000	पच्चीस हजार रुपये मात्र
7	0006.13.01 कार्यालय व्यय	150000	एक लाख पचास हजार रुपये मात्र
8	0006.13.03 दूरभाष	15000	पन्द्रह हजार रुपये मात्र
9	0006.13.04 विद्युत प्रभार	100000	एक लाख रुपये मात्र
10	0006.13.06 वर्दी/पोषाक	15000	पन्द्रह हजार रुपये मात्र
11	0006.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	175000	एक लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र
12	0006.21.02 दवा भंडार	200000	दो लाख रुपये मात्र
13	0006.21.03 आहार/पथ्य	1700000	सतरह लाख रुपये मात्र
14	0006.28.02 संविदा सेवायें	1880000	अठारह लाख अस्सी हजार रुपये मात्र
	<b>कुल योग</b>	<b>6738000</b>	<b>सड़सठ लाख अड़तीस हजार रुपये मात्र</b>

2. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञाप-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 की कंडिका 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का एवं वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इन कंडिकाओं के अनुपालन में आप स्वयं संतुष्ट हो लें कि स्थापना मदों में केवल स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए नियमानुसार निकासी की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

चन्द्रदेव राम मंत्री, जमाबुद्धीम अंशरी. 21/04/17  
39 निदेशांक (बजट)



3. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष- 2056 जेल, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष- 101 जेल, उपशीर्ष-0006 मुक्त कारागार के तहत होगा। काराधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या-22 विपत्र कोड-22-2056001010006 एवं अंकित कूट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

4. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जाय।

5. आवंटित की जा रही राशि में से यदि वेतन एवं भत्ते मदों की किसी इकाई में अधिक या कम राशि है तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्र सं० 405/वि० दिनांक-25.05.06 के आलोक में अलग-अलग उप इकाईयों के लिये राशि कर्णांकित करने के पश्चात् ही विपत्र प्रेषित करेंगे।

6. प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी०भी० नं० के साथ अनिवार्य रूप से कारा निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

चन्द्रदेव राम मों. जमालुद्दीन अंशारी रा.प. रा.प. वि.

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(मुक्त)-05-02/17.....०३....

पटना, दिनांक ...।०./...।५...../2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

चन्द्रदेव राम मों. जमालुद्दीन अंशारी रा.प. रा.प. वि.

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(मुक्त)-05-02/17.....०३....

पटना, दिनांक ...।०./...।५...../2017

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

चन्द्रदेव राम मों. जमालुद्दीन अंशारी रा.प. रा.प. वि.

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(मुक्त)-05-02/17.....०३....

पटना, दिनांक ...।०./...।५...../2017

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बक्सर/आई०टी० मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

चन्द्रदेव राम मों. जमालुद्दीन अंशारी रा.प. रा.प. वि.

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।